न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 34/2016 फोरलेन

उनवान

1.श्रीमती सुशीला देवी पत्नि कैलाशचन्द्र कोठारी निवासी सांगानेर हाल 4–जी–22 आर0सी0व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा	**बनाम**	1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा 2.परियोजना निदेशक (एन.एच.ए.आई.) कार्यान्वयन इकाई 6–ए–1,आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा
---प्रार्थी		---विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 जी (5)नेशलन हाईवे एक्ट 1956 विरूद्ध अवार्ड सक्षम अधिकारी(भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा बमामले क्रमांक/फोरलेन/53/2014/ प्रतिकर निर्धा0/एन0एच0758(भीलवाड़ा से लाडपुरा सेक्शन) दिनांक 07.10.2014

उपस्थितः– **श्री गोपाल अजमेरा, अधि0 प्रार्थीगण की ओर से**
श्री गणेशलाल जोशी, अधि0 विपक्षी संख्या 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 23/05/2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3 जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 53/2014/प्रतिकर निर्धा0 निर्णय दिनांक 07.10.2014 द्वारा दिलाये गये क्षतिपूर्ति की राशि में बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य सभी परिलाभ जो अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिलाये जाने बाबत् दिनांक 21.09.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की ग्राम भदालीखेड़ा में आराजी नम्बर 397 रकबा 2.14.13 बीघा एवं आ0नं0 359 रकबा 0.11 बीघा प्रार्थीया की खातेदारी में चली आ रही है जिसमें से आ0नं0 397 में से 0.300 हैक्टर तथा आ0नं0 359 में से रकबा 0.135 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.435 हैक्टर (4350 वर्गमीटर) भूमि अवाप्त की गयी। जिसके सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जो अवार्ड दिनांक 07.10.2014 को पारित किया गया है वह नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3 ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 08 जनवरी 2013 को प्रकाशित की गई तत्पश्चात विहित अधिनियम की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत दिनांक 20 दिसम्बर 2013 को अधिसूचना प्रकाशित होकर दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 17.01.2014 एवं 22.01.2014 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त अधिसूचनाओं की कोई किसी प्रकार की व्यक्तिगत तामील प्रार्थी पर नहीं करवायी गयी है तथा अवार्ड जारी कराये जाने तक भी प्रार्थीया को इस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई अर्थात आलोच्य अवार्ड प्राकृतिक सिद्धान्तों की जानबूझकर अनदेखी कर पारित किया गया है। प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधिनियम की धारा 3–जी(1 व 2) के तहत कोई किसी प्रकार का आपत्ति आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया तथा न कोई व्यक्तिगत तामील ही इस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार के नोटिस की व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थी पर करायी ही गयी है तथा जो अवार्ड राशि 4 लाख 60 हजार 334 रूपये प्रतिबीघा यानि 182 रूपये प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त भूमि के एवज में दिलाने का जो अवार्ड पारित किया है वह बिल्कुल विधि

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के विपरीत होकर बहुत कम है क्योंकि ग्राम भदालीखेड़ा की ही कृषि भूमि जो मै0 सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0लि0 की खातेदारी की कृषि भूमि में से 3 बीघा भूमि दिनांक 30.09.2013 को 70 लाख रूपये प्रतिबीघा से विक्रय की गई जबकि अवार्ड दिनांक 07.10.2014 को जारी किया गया। अवाप्ताधीन भूमि की मार्केट वेल्यू 220 रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से है तथा अवाप्तशुदा भूमि जिसका रकबा 0.0210 है0 यानि 210 वर्गमीटर है का मुआवजा भी मार्केट वेल्यू एवं मौके की स्थिति के आधार पर 220 रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से दिलाया जाना चाहिये था किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने मार्केट वेल्यू को नजर अन्दाज कर आलोच्य अवार्ड पारित करने में भारी भूल की है। डीएलसी रेट जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उस अनुसार भी अवाप्तशुदा आराजी जो नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है तथा मास्टर प्लान के तहत अवाप्त की गई भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित की जाकर आरक्षित की गई है ऐसी स्थिति में डीएलसी दर का आधार भी माना जावे तो भी दिनांक 26.03.2012 से प्रभावी डीएलसी दरों के अनुसार ग्राम भदालीखेड़ा के कृषि भूखण्ड आवासीय पेराफेरी की दर 220/– रूपये प्रति वर्गफीट तय की गई है। अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने एवं अवार्ड पारित किये जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान भूमि को अवाप्त किये जाने के लिये मुआवजा निर्धारण के लिये लागू ही नहीं रहे , तत्समय केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू हो चुके थे एवं समस्त अवाप्ति प्रकरणों के मुआवजा निर्धारण बाबत इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड जारी किया जाना चाहिये था जिसके तहत इस अधिनियम के अनुसार तत्समय के बाजार मूल्य के 4 गुणा दर से अर्थात 220/– रूपये प्रतिवर्गफीट न्यूनतम दर माने जाने की स्थिति में भी 880/– रूपये प्रतिवर्गफीट की दर से मुआवजा दिलाया जाना न्यायोचित है। परिवादी की भूमि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के पेराफेरी एरिया की आवासीय श्रेणी में स्थित है तथा आबादी से पूर्णतया सटी हुई भूमि है इस कारण भूमि बेसकीमती एवं अत्यधिक उपयोगी है साथ ही आंशिक हिस्से को अवाप्त किये जाने पर शेष बची भूमि का रकबा भी कम रह जाने से उसका भी कोई उचित उपयोग नहीं हो पायेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद की कलम संख्या 7 में वर्णित अनुसार मुआवजा राशि व अन्य राशियां व परिलाभ जो अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत बनती है उसी अनुपात में दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.10.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से क्षतिपूर्ति राशि हेतु पारित अवार्ड संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से दिनांक 06.12.2016 को जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 व 3 से लगायत 7 व 8 में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया है। बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में लिखा कि अधिसूचना जारी करने का तथ्य स्वीकार है शेष तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। कलम संख्या 3 के सम्बन्ध में अंकित किया कि अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में व्यक्तिगततौर पर सूचना पत्र तामील नहीं करवाया गया जिसके कारण प्राथीगण सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर सका जबकि विस्तृत रूप से समाचार पत्रों तथा सार्वजनिक स्थानोंपर आपत्तियां मांगने बाबत सूचना पत्र चस्पा किये गये थे वैसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में व्यक्तिगत तौर पर सूचना/नोटिस भेजकर सुनवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस बाबत अधिनियम की धारा 3(सी) में Hearing of Objection से स्पष्ट किया हुआ है। अधिनियम की धारा 3ए व 3 डी के तहत विधिवत सूचना प्रकाशित की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

08.01.2013 की डीएलसी दर पर मुआवजा निर्धारित किया है वह सही है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(ए)(1) के तहत बाजार दर से मुआवजा देने की व्यवस्था है वास्तव में डीएलसी दर भूमि की कीमत का आधार है डी0एल0सी0 दर (जो कि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मार्केट रेट को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है) बाजार दर के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 में स्पष्ट है और इस धारा में वर्णित कोई मापदण्डों की अवहेलना नहीं की गई। जो अवार्ड पारित किया जिसकी प्रति क्रमांक/न्याया/फोरलेन/53/2014/प्रतिकर निर्धा0/ दिनांक 07.10.2014 को भेजी गई थी फिर भी प्रार्थीगणों ने अवाप्ताधीन भूमि के प्रतिकर की राशि बाबत कोई रूचि नहीं ली गई और 02 वर्ष बाद यह आवेदन प्रस्तुत किया है वह अपास्त होने योग्य है। बिन्दु सं0 8 में कथन किया कि अवाप्त शुदा भूमि नगरविकास न्यास भीलवाड़ा की पैराफेरी क्षैत्र में स्थित होकर मास्टर प्लान के तहत अवाप्त की गई भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित की जाकर आरक्षित की गई है। जिसमें दिनांक 26.03.2012 की डीएलसी दर से कृषि भूखण्ड आवासीय की दर 220/—रूपये प्रतिवर्गफीट है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अवाप्ताधीन भूमि दिनांक 08.01.2013 को कृषि भूमि ही थी आवासीय भूखण्ड नहीं थेअतः प्रार्थीगण का कथन स्वीकार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधार अधिनियम 2013 का अधिनियम 01.01.2015 से अंगीकार किया गया है जबकि अवार्ड 07.10.2014 को पारित हो चुका था ऐसी स्थिति में जो अवार्ड पारित किया है वह नियमानुसार सही है वह किसी प्रकार से अपास्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट(सक्षमअधिकारी) भीलवाड़ा से जारी अवार्ड संख्या/फोरलेन/53/2014/प्रतिकर निर्धा0 दिनांक 07.10.2014 की प्रमाणित फोटो प्रति श्री सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0लि0 की ओर से ग्राम भदालीखेड़ा मे संत निरंकारी मण्डल दिल्ली को भूमि विक्रय की जिसका पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 30.09.2013 की फोटो प्रति, दिनांक 07.04.2015 की डीएलसी की प्रति व नगरविकास न्यास भीलवाड़ा के मास्टर प्लान की प्रति प्रस्तुत की अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 के प्रावधानानुसार संशोधित अवार्ड जारी करने एवं अवाप्ताधीन भूमि जो कि नगरविकास न्यास भीलवाड़ा की पेराफेरी क्षैत्र में स्थित होकर आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित होने से 220/-- रूपये प्रति वर्गफीट से प्रतिकर का पुर्ननिर्धारण करने हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को आदेश फरमावें। इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थी के द्वारा (Citation 2013 DNJ (SC) 833) दिगम्बर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य सिविल अपील संख्या 5346/2013 निर्णय दिनांक 01.08.2013 की प्रति प्रस्तुत की। बहस में वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने भी प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अवार्ड विधिवत जारी किया गया है। प्रार्थी के नाम अवार्ड दिनांक 07.10.2014.को जारी किया जा चुका था तथा रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 दिनांक 01.01.2015 से लागू किए जाने से उक्त प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई तथा अवार्ड जारी होने तक भी नहीं सुना गया। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी भू–भाग

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम भदालीखेड़ा, तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.300 हैक्टयर व आ0नं0 359 रकबा 0.135 हैक्टर कुल 0.435 हैक्टर यानि 4350 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्त करने से पहले हितबद्ध व्यक्ति को जहां तक व्यक्तिगत सुनवाई का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सुनवाई के कोई प्रावधान नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी में स्पष्ट किया है कि विहित अधिनियम की धारा 3ए (1) प्रकाशित अधिसूचना को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाता है। यह प्रकाशन सार्वजनिक रूप से कराया जाता है और इसी के आधार पर प्रकाशन की तिथि से हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 21 दिन की समय सीमा नियमों में अवधारित है। ऐसी स्थिति में परिवादी ने अपने परिवाद में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जो आक्षेप किया, वो अमान्य करार दिया जाता है।

- प्रार्थीगण का द्वितीय कथन है कि दिनांक 26.03.2012 को प्रचलित डी0एल0सी0 दर से अवाप्ताधीन भूमि की डीएलसी दर 220/– रूपये प्रतिवर्गफीट के हिसाब से मुआवजा दिलाया जावे परन्तु अवाप्ताधीन भूमि या इसी श्रेणी की आस–पास की अन्य भूमियों के हस्तान्तरण/विक्रय सम्बन्धी जो दस्तावेज मै0 सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0लि0 की ओर से ग्राम भदालीखेड़ा में संतनिरंकारी मण्डल दिल्ली को दिनांक 30.09.2013 को विक्रय की उसके विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई जबकि भूमि के अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08.01.2013 को प्रकाशित हुई और इस दिनांक की डीएलसी या बाजार दर के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार यह दस्तावेज यहां पर लागू नहीं होता है। अवाप्ताधीन भूमि अधिसूचना दिनांक 08.01.2013 को चाही II अर्थात सिंचित किस्म की कृषि भूमि थी। इसके मौके पर किसी प्रकार के भूखण्ड नियोजित नहीं थे न किसी प्रकार का मौके पर कृषि से भिन्न प्रयोजन से उपयोग हो रहा था न ही उसका सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न डीएलसी प्रति दिनांक 10.05.2013 अनुसार अवाप्ताधीन भूमि आबादी से 100 मीटर तथा अजमेर से भीलवाड़ा सड़क के मध्य से 851 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होकर किस्म सिंचित होने से दिनांक 10.05.2013 को प्रभावी डीएलसी दर 460334/– रूपये प्रति बीघा यानि 182/– रूपये प्रति वर्गमीटर से प्रतिकर की गणना की गई। परिवादी ने अपने परिवाद में जो कथन किया है ऐसी व्यवस्था नहीं होकर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3ए (1) जो भारत के राजपत्र में दिनांक 08.01.2013 को प्रकाशित की गई थी, उस दिनांक को प्रचलित जो डी0एल0सी0 दर एवं मौके व रिकॉर्ड की जो स्थिति है उसी अनुरूप प्रतिकर निर्धारण करने की व्यवस्था नियमों में दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उद्धरग (Citation 2013 DNJ (sc) 833) दिगम्बर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य सिविल अपील संख्या 5346/2013 निर्णय दिनांक 01.08.2013 लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध में डी0एल0सी0 दर का अवलोकन करने पर यह तथ्य निर्विवाद है कि दिनांक 10.05.2013 को जो डी0एल0सी0 दर निर्धारित थी, वो ही डी0एल0सी0 दर दिनांक 08.01.2013 को थी, जिससे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा प्रतिकर निर्धारण करते समय दिनांक 10.05.2013 को प्रचलित डी0एल0सी0 दर को आधार स्तम्भ लेकर दिनांक 07.10.2014 को प्रतिकर का निर्धारण करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।
- प्रार्थी का तृतीय कथन है कि अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार दिलाया जावे। प्रतिकर निर्धारण के लिए राजस्व अधिकार अभिलेख ही एक सर्वोपरी दस्तावेजी साक्ष्य है। मौखिक कथनो के अनुसार भूमि की किस्म् में किसी प्रकार का परिवर्तन मानकर प्रतिकर का निर्धारण किया जाना नियमों में प्रावधान नहीं हैं। जहां तक भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिकर निर्धारण करने का प्रश्न है, प्रथम दृष्टया भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जो अधिसूचना प्रकाशित की गई है वो दिनांक 31.12.2014 अथवा 01.01.2015 से पहले की है। अर्थात् भूमि अवाप्ति के लिए जो प्रक्रियां प्रारम्भ की गई वो भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 जिसे दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील किया गया है, इससे पहले ही अवाप्ति प्रक्रिया प्रारम्भ होकर अधिसूचनाओं का प्रकाशन हो चुका था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(3)राज–6/2011/7 जयपुर दिनांक 11.03.2014 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अधिनियम 1894 की धारा 11 के अन्तर्गत 31.12.2014 से पूर्व अवार्ड जारी हो चुका तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में उक्त अधिनियम में दिनांक 31.12.2014 से संशोधन किए जाने से उक्त दिनांक से पूर्व अवार्ड जारी किया गया हो तो ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नवीन अधिनियम 2013 के तहत नहीं होगी परन्तु अधिनियम 2013 के प्रभावी होने अर्थात 01.01.2015 के पश्चात यदि अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी किए गए है तो ऐसे प्रकरणों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अवार्ड संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के तहत् प्रतिकर का निर्धारण किया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार उपर किये गये विवेचन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 आदेश दिनांक 07.10.2014 से परिवादीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम भदालीखेड़ा तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 397 रकबा 0.300 हैक्टयर व आ0नं0 359 रकबा 0.135 हैक्टर कुल रकबा 0.435 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाडा से लाडपुरा खण्ड) चारलेन हेतु अवाप्त की गई भूमि के लिए प्रतिकर निर्धारण करने में कोई कानूनी त्रुटि करना परिलक्षित नहीं होता है जिससे परिवादी का परिवाद अस्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण/परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा बमामले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा खण्ड) चार लेन निर्माण हेतु प्रकरण संख्या 53/2014 प्रतिकर अवार्ड निर्णय दिनांक 07/10/2014 को यथावत रखते हुए अस्वीकार किया जाता है। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 23/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा राजस्थान